REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122022-240840 CG-DL-E-06122022-240840

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5451]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944
No. 5451]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5683(अ).—केंद्रीय सरकार का, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण और भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण, जो समुचित विनियामक हैं, से परामर्श करने के पश्चात्, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, यह अधिसूचित करती है कि यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ई-केवाईसी सेतु प्रणाली आधार अधिनियम के अधीन निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करती है, ई-केवाईसी सेतु प्रणाली का प्रयोग करते हुए धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन अधिप्रमाणन का निष्पादन करने के लिए बोर्ड पर रखे गए इकाइयों को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाए ।

2. ई-केवाईसी सेतु एक ऐसी प्रणाली होगी जिसे राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा लागू किया गया है जिससे रिपोर्टिंग इकाई को व्यष्टि का अधार संख्यांक बताए बिना आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन के माध्यम से रिपोर्टिंग इकाई द्वारा ग्राहक या उसके हिताधिकारी स्वामी की पहचान का सत्यापन हो सके।

 राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम यह सुनिश्चित करेगा कि रिपोर्टिंग इकाई को आधार पूरा संख्यांक बताए बिना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अधिकथित विनियमों के अनुसार ग्राहक के आधार संख्यांक का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन किया जाता है और अधिप्रमाणन करने के पश्चात्, राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम ग्राहक के आधार संख्यांक के चार अंतिम अंकों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसके द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित उसे उपलब्ध कराए गए उसके जनसांख्यिकीय ब्यौरों सहित रिपोर्टिंग इकाई के साथ साझा करेगा और रिपोर्टिंग इकाई ग्राहक और राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के आधार पर ग्राहक की पहचान करेगा ।

4. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ऐसा सत्यापन, जिसमें वास्तविक पहचान भी है, कर सकेगा, जो वह यह सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे कि राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम द्वारा लागू की गई प्रणाली उनके द्वारा जारी विनियमों और उनके द्वारा अधिकथित अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और यदि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अतिरिक्त उपाय विनियमों और अन्य अपेक्षाओं, यदि कोई हो, का अनुपालन करते हुए प्रणाली को लागू करने के लिए अपेक्षित हैं, तो वह ऐसे समय के भीतर, जो वह ठीक समझे, अनुपालन किए जाने वाले ऐसे निदेश जारी कर सकेगा।

5. (i) ई-केवाईसी सेतु का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड पर रखी गई इकाइयों की सूची http://npci.org.in/e-KYCsetu/ पर राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम द्वारा बनाए रखी जाएगी जिसके अंतर्गत वह तारीख भी है, जिससे उन्हें बोर्ड पर रखा गया है।

(ii) इस प्रयोजन के लिए किसी इकाई को बोर्ड पर रखने से पूर्व, राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम यह सुनिश्चित करेगा कि इकाई ई-केवाईसी सेतु के माध्यम से अधिप्रमाणन करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है ।

(iii) राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि इकाई अपेक्षित विनियामक अनापत्ति रखता है, यदि अपेक्षित हो, ऐसा वित्तीय कारबार करने के लिए, जिसके लिए यह अपने ग्राहकों की पहचान को अधिप्रमाणित करने के लिए आशयित है ।

6. किसी इकाई तक ई-केवाईसी सेतु प्रणाली तक ऐसी पहुंच, जो—

- (क) ई-केवाईसी सेतु का प्रयोग करके अपने ग्राहकों का अधिप्रमाणन करने के लिए इच्छुक नहीं है ;
- (ख) ई-केवाईसी सेतु का प्रयोग करके अपने ग्राहकों के सत्यापन के लिए राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अधिकथित अपेक्षाओं के भंग में पाया जाता है ;
- (ग) समुचित विनियामक द्वारा वित्तीय कारबार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है ; या
- (घ) छह मास की अवधि के लिए किसी ग्राहक का सत्यापन नहीं करता है,

राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और ऐसे इकाइयों की पृथक् सूची http://npci.org.in/ e-KYCsetu/ पर बनाए रखी जाएगी, जिसमें ऐसी तारीख भी है, जिससे ऐसे बंद होने के कारणों सहित पहुंच को बंद कर दिया गया है और किसी ऐसे प्रक्रम पर, यदि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम या समुचित विनियामक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी इकाई तक ई-केवाईसी सेतु प्रणाली की पहुंच बंद कर देनी चाहिए, तो वह इसकी सूचना इस संबंध में राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम को तुरंत देगा और राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम ऐसे इकाई तक पहुंच के लिए तुरंत इन्कार करेगा।

7. बोर्ड पर रखे गए इकाइयों तथा बंद किए गए अस्तित्वों के ब्यौरे ऐसी कार्रवाई के सात दिन के भीतर राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को और समुचित विनियामक को अधिसूचित की जाएगी ।

8. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर]

शशांक मिश्रा, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2022

S.O. 5683(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), in consultation with Unique Identification Authority of India (UIDAI), the Reserve Bank of India, the Securities Exchange Board of India, the

Insurance Regulatory Authority of India and the Pension Fund Regulatory Authority of India, being the appropriate regulator, the Central Government, being satisfied that it is necessary to do so, hereby notifies that entities onboarded to perform authentication under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)(hereinafter referred to as the Aadhaar Act) for the purposes of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 using the e-KYC setu system be permitted to do so, after being satisfied that the e-KYC setu system complies with the standards of privacy and security under the Aadhaar Act.

2. The e-KYC setu shall be a system put in place by National Payments Corporation of India (NPCI) to enable verification of identity of a client or its beneficial owner by a reporting entity through authentication under the Aadhaar Act without disclosing the Aadhaar number of the individual to the reporting entity.

3. NPCI shall ensure that the authentication is carried out using the Aadhaar number of the client as per the regulations laid down by UIDAI, without disclosing full Aadhaar number to the reporting entity, and after carrying out authentication, NPCI shall share the last four digits of the Aadhaar number of the client, alongwith his demographic details made available to it by UIDAI, digitally signed by it, with the reporting entity and the reporting entity shall carry out identification of the client based on the details provided by the client and NPCI.

4. UIDAI may carry out such verification, including physical verification, as it may deem fit to ensure that the system put in place by NPCI is in compliance with the regulations issued by them and the requirements laid down by them and in case the UIDAI comes to a conclusion that additional measures are required to bring the system in compliance with regulations and other requirements, if any, it may issue such directions to be complied with in such time as it may deem fit.

5. (i) A list of entities on boarded for the purpose of carrying out the authentication using the e-KYC setu shall be maintained by NPCI at <u>http://npci.org.in/e-KYCsetu/</u> including the date from which they have been on-boarded.

(ii) Before on-boarding any entity for this purpose, NPCI shall ensure that the entity satisfies all the requirements for carrying out authentication through the e-KYC setu.

(iii) NPCI shall also ensure that the entity has requisite regulatory clearance, if required, to carry out the financial business for which it intends to authenticate identity of its clients.

- 6. Access to the e-KYC setu system to an entity, which,-
 - (a) is no longer desirous of carrying out authentication of its clients using e-KYC setu;
 - (b) is found to be in breach of the requirements laid down by NPCI or UIDAI for verification of its clients using e-KYC setu;
 - (c) is no longer allowed to carry out the financial business by the appropriate regulator; or
 - (d) does not carry out verification of any client for a period of six months,

shall be discontinued by NPCI and a separate list of such entities shall be maintained at http://npci.org.in/e-KYCsetu/ including the date from which the access has been discontinued alongwith the reasons for such discontinuation and at any stage, if UIDAI, NPCI or appropriate regulator comes to the conclusion that access to the e-KYC setu system to any entity should be discontinued, it shall inform the same to NPCI immediately in this regard and NPCI shall deny access to such entity forthwith.

7. The details of entities onboarded and entities discontinued shall be notified by NPCI to UIDAI and the appropriate regulator within seven days of such action.

8. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR] SHASHANK MISRA, Director (Headquarter)